न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
आलोक वगैरह बनाम इन्द्राजीत वगैरह
उ०प० 56/2024

आज पेशी है। वकील वादीगण की रुबरु तरमीम बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

30/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वादीगण का वाद पत्र, प्रार्थनापत्र व जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर एवं वकील वादीगण की बहस को श्रवण करने पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 राज० काश्तकारी अधि० का स्वीकार किया जाता है तथा विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।
पत्रावली कोर्ट रिकार्ड होकर नियमानुसार कार्य हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

1/2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
56 / 2024	06 / 05 / 2024	30 / 05 / 2024

1. आलोक लोढा पत्नि मनीष लोढा, जाति जैन निवासी 288–289 हिम्मत नगर दूर्गापुरा टोंक रोड जयपुर बहैसियत मुख्यारआम यशवन्त लोढा पुत्र मदन लोढा जाति जैन निवासी288–289 हिम्मत नगर दूर्गापुरा टोंक रोड जयपुर जिला जयपुर हाल निवासी 4 / बी / 24 रूस्तोमजी रीजेडेन्सी जे एस रोड, दहीसर वेस्ट मुम्बई 400068 ।
2. श्रीमति मीनूवाय लोढा पत्नि श्री यशवन्त लोढा जातिउ जैन निवासी जयपुर हाल निवासी 4 / बी / 24, रूस्तोमजी रेजीडेन्सी, जे.एस.रोड दहीसर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400068 जरिए बहैसियत यशवन्त लोढा पुत्र मदन लोढा जाति जैन निवासी288–289 हिम्मत नगर दूर्गापुरा टोंक रोड जयपुर जिला जयपुर हाल निवासी 4 / बी / 24 रूस्तोमजी रीजेडेन्सी जे एस रोड, दहीरार वेस्ट मुम्बई 400068

वादीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम पुत्र कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी हिम्मत नगर चित्रकूट जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी हिम्मत नगर चित्रकूट जयपुर।
3. मंजू पुत्री कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी हिम्मत नगर चित्रकूट जयपुर।
4. ललितादेवी पत्नि कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी हिम्मत नगर चित्रकूट जयपुर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
पुष्पेन्द्र शर्मा – वादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 401 / 48 रकबा 3.0600 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.0600 है0 की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम निमडिया पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसकी खतेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के आलोका लोढा पत्नि मनीष लोढा, जाति जैन निवासी 288–289 हिम्मत नगर दूर्गापुरा टोंक रोड जयपुर एवं मीनूवाय लोढा पत्नि श्री यशवन्त लोढा जातिउ जैन निवासी जयपुर हाल निवासी 4 / बी / 24, रूस्तोमजी रेजीडेन्सी, जे.एस.रोड दहीसर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400068 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारान ने अपनी ओर समस्त वैधानिक कार्यो के लिए यशवन्त लोढा पुत्र मदन लोढा जाति जैन निवासी288–289 हिम्मत नगर दूर्गापुरा टोंक रोड जयपुर जिला जयपुर हाल निवासी 4 / बी / 24 रूस्तोमजी रीजेडेन्सी जे एस रोड, दहीसर वेस्ट मुम्बई 400068 को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त कर रखा जिसमें से श्रीमति आलोका लोढा के द्वारा नियुक्त किए गये वैधानिक मुख्त्यारआम का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जमवारामगढ में पुस्तक सं0 4 जिल्द सं0 6 में पृष्ठ सं0 3 क्रम सं0 202103424400038 पर दिनांक 15.7.2021 को एवं श्रीमति मीनूवाय लोढा के द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक मुख्त्यारआम का पंजीयन कार्यालय जगवारामगढ में पुस्तक सं0 4 जिल्द सं0 6 में पृष्ठ सं0 65 में क स0 202203424400037 दिनांक 08.07.2022 को किया हुआं है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से जरिये वैधानिक मुख्त्यारआम की हैसियत से पेश किया जा रहा है। जिस पर प्रार्थीगण का कदीमी कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 49 स्थित वाके ग्राम निमडिया तहसील जवमारामगढ में प्रार्थीगण की भूमि के लगवा स्थित हैं परन्तु प्रार्थीगण की भूमि से अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

नहीं है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 संख्या व बाहुबल में अधिक है। तथा आये दिन प्रार्थीगण के साथ उक्त भूमि को लेकर लडाई झगडा करते रहते है। प्रार्थीगण शान्ति प्रिय व्यक्ति है। तथा जयपुर में निवास करते है तथा व्यावसायिक कार्य से जयपुर से बाहर आते जाते रहते है। जबकि अप्रार्थीगण झगडालू प्रवृति व ऊची पहुच वाले है। जो आये दिन प्रार्थीगण की भूमि से मेंड डोल को काटकर वादविवाद करते रहते है। तथा भूमि के पुराने सीमा चिन्ह को खुर्दबुर्द कर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर आये दिन वाद विवाद करते रहते है। अभी हाल ही में अप्रार्थीगणो ने दिनांक 2.5.2024 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया तो प्रार्थीगणों को वरवक्त सीमाज्ञान की जानकारी हुई। कि अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीगण की करीबन दो बीघा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शें में आडी धारियो से प्रदर्शित किया गया है। उस कब्जाकर अतिचार कर अतिक्रमण कर रखा है। तथा प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि को मिला लिया है। एवं नवीन डोला कायम कर दिया। जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को कब्जा छोडने के लिये कहा तो गाली गलौच करने लगे तथा मारपीट पर उतारू हो गये। एवं मौके पर उपस्थित लोगों के जरिये काफी समझाया। लेकिन वे नही माने तथा कहा कि हम अब भूमि पर से कब्जा नही छोडेगें तथा हम से कब्जा लेने की कोशिश करोगें तो झुठे मुकदमों मे फसा देगें। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि को वापस लेने के लिये पुलिस थाने मे रिपोर्ट पेश की। लेकिन पुलिस वालों ने आजतक कोई कार्यवाही नही की। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर 401/48 रकवा 3.0600 है0 भूमि मे से सलग्न नजरी नक्शें मे आडी धारियो में प्रदर्शित करीबन 2 बीघा भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को व कब्जे को मुक्त करवाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को बेदखल कर प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाने की कृपा करावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। दिनांक 28.05.2024 को अप्रार्थीगणसं0 1 लगायत 4 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 5 (पैरोकार सरकार) ने दिनांक 24.05.24 को अपनी रिपोर्ट/जवाव अपने पत्रांक/रीडर/24/334 दिनांक 24.05.24 द्वारा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में अवगत कराया कि ग्राम निमडिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 401/48 रकबा 3.0600है0 भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 02.05.24 को करवाया गया। मौके पर दौराने सीमाज्ञान प्रार्थीगण की लगभग 0.45है0 भूमि पर अप्रार्थीगणों की कब्जाकाश्त है। वकील वादीगण एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण की व पैरोकार सरकार की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध वादीगण का वाद पत्र, पैरोकार सरकार का जवाब/ रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम निमडिया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 401/48 रकबा 3.0600है0 भूमि में से लगभग रकबा 0.45है0 से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का मौके से अतिक्रमण एवं कब्जे को हटवाकर वादीगणों को कब्जा संभलावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30/05/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबलाई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

आलोका लोढा वगै0 बनाम पुरूषोत्तम वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 183, राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 56/2024 निर्णय दिनांक 30.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा वकील वादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम निमडिया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 401/48 रकबा 3.0600है0 भूमि में से लगभग रकबा 0.45है0 से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का मौके से अतिक्रमण एवं कब्जे को हटवाकर वादीगणों को कब्जा संभलावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

डिक्री आज दिनांक 30/05/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर
उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
	रूपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर
उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ